राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2081/2013/उदयपुर
मैसर्स ए आर इलेक्ट्रो पावर प्रा.लि.
उदयपुर अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,घट–प्रथम,बांसवाडा प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री सुनील अग्रवाल
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 29.5.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से अतिरिक्त आयुक्त,अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 159/वैट/12–13/उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 30.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट–प्रथम, बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 01.08.2012 को वाहन संख्या आरजे–27–जी–6599 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8,रतनपुर,डूँगरपुर पर चेक किया गया। वाहन में लदे माल इलेक्ट्रीक केबल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नम्बर 9837307 प्रस्तुत किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र वैट–47 अपूर्ण है, अतःअधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम,2006(जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री लोकेश तलेसरा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने जवाब पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत माल की कीमत रू. 1,75,770/– पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 52,731/– एवं पांच प्रतिशत की दर से वैट रू. 8789/–आरोपित करते हुए कुल रू. 61,520/–की मांग सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2012 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं वैट को यथावत रखते हुए

अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2013 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। उनका कथन है कि त्रुटि एवं भूल के कारण घोषणा पत्र वैट–47 के कालम रिक्त रह गये,जो कि तकनीकी भूल है। उनका कथन है कि वैट–47 के कालम भूलवश रिक्त रहे गये थे,जिसमें उसकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। । उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों को किसी भी जांच से मिथ्या सिद्ध नहीं किया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय अपेक्स कोर्ट द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उडीसा राज्य (1969) 2 एससीसी–267 के प्रकरण में पारित निर्णय को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 अपूर्ण होने कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं वैट आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 अपूर्ण होने के कारण अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 52,731/– एवं कर रू. 8,789/– आरोपित किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2013 को पारित कर यथावत रखा है ।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 9837307 अपूर्ण प्रस्तुत किया गया हैं, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 11 पर उपलब्ध है । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थी की ओर से कोई नया घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत नहीं किया है। उक्तानुसार वक्त जांच परिवहनित माल के साथ संलग्न किया गया अपूर्ण घोषणा प्रपत्र न तो तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है और न ही विधिमान्य दस्तावेज माना जा सकता। इस प्रकार उक्त घोषणा प्रपत्र

अपूर्ण घोषणा प्रपत्र की श्रेणी में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (18) टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कर सम्बन्धी विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अपराध हेतु शास्ति आरोपण के लिये व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा आवश्यक अंग (ingredient) नहीं है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपूर्ण/अविधिमान्य घोषणा प्रपत्र से माल राज्य में आयात किया जाना वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने के कारण व्यवहारी के विरूद्ध धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ उपलब्ध अपूर्ण घोषणा प्रपत्र को मान्यता नहीं दी जा जाकर व्यवहारी के विरूद्ध धारा 76(2) सपठित नियम 53 के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति एवं वैट आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिक एवं न्यायोचित है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हीं तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है,जिसमें किसी हस्तक्षेत की आवश्यकतस यह पीठ अनुभव नहीं करती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट एवं शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है,जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य